Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुन्झुनू में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज झुन्झुनू में कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू को परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की होटल का निरीक्षण कर होटल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संबंधी रिकॉर्ड अनुसार उसके विरूद्ध पूर्व की वसूली राशि नही निकालने और भविष्य में उसका ध्यान रखने की एवज में संदीप कुमार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू द्वारा 35 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **श्री गगनदीप सिंगला पुलिस अधीक्षक एसीबी बीकानेर** के सुपरविजन में चूरू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** के निर्देशन में **श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के आज झुन्झुनू ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्री संदीप कुमार पुत्र जयलाल जाट निवासी गुड़ान तहसील राजगढ़ जिला चूरू, हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।